

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

प्रा.पत्र/09/2019

पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा, नई मण्डी स्टेशन रोड भरतपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी
.....प्रार्थी सिक्कोर क्रेडिटर

बनाम

- 1-मैसर्स तुलसी शिक्षा एवं विकास समिति संस्कार कॉलेज खसरा नं.2140 पीपराऊ रोड़ नदबई
- 2-युदपाल सिंह पुत्र घमण्डी सिंह अध्यक्ष, संस्कार कॉलेज, खसरा नं.2141 पीपराऊ रोड़ नदबई
- 3-भूपेन्द्र सिंह पुत्र घमण्डी सचिव, खसरा नं. 2141 पीपराऊ रोड़ नदबई जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी ऋणी

श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी घमण्डी सिंह, ग्राम बीलोथ दहरा, तहसील नदबई जिला भरतपुर
देवेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन लाल सिंह, ए-88 दादूदयाल नगर वार्ड नं. 12 जयपुर

.....अप्रार्थी गारन्टर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्कोरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन
ऑफ फाइनान्सियल एनफोर्समेंट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002

आदेश

दिनांक 7.2.2019

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने दिनांक 23-12-2015 को प्रार्थी बैंक से 2500000/- रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने मैसर्स तुलसी शिक्षा एण्ड विकास समिति की संस्कार कॉलेज खसरा नं. 2140 पीपराऊ रोड़ नदबई जिला भरतपुर स्थित सम्पत्ति (क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर) है जिसके पूर्व में-अन्य सम्पत्ति, पश्चिम में- अन्य सम्पत्ति, उत्तर में -अन्य सम्पत्ति, दक्षिण में- रोड़, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी0/ऋणी के खाता को दिनांक 31.12.2016 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 31.12.2016 तक दोनों खातों में कुल 2579866/- रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13 (2) का नोटिस दिनांक 21-2-2017 को अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 / ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (गज०)

(2)

प्रा.पत्र/09/2019

पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक बनाम तुलसी शिक्षा समिति वगैरे

किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा-13(2) का नोटिस दिनांक 31-12-2016 अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किये गये, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के एवज में अप्रार्थी0 ने मैसर्स तुलसी शिक्षा एण्ड विकास समिति की संस्कार कॉलेज खसरा नं. 2140 पीपराऊ रोड़ नदबई जिला भरतपुर स्थित सम्पत्ति (क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर) है जिसके पूर्व में-अन्य सम्पत्ति, पश्चिम में- अन्य सम्पत्ति, उत्तर में -अन्य सम्पत्ति, दक्षिण में- रोड़, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्च पर उन्नी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

डॉ० आरुषी मलिक)

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official